




वन उत्पादकता संस्थान

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)



Phone: 0651- 2526140 0898660816

थावरण एव जलवायु पारवतन मत्रालय, भारत सरकार का एक स्थायत निकाय) लालगुटवा, एन. एच.--23, गुमला रोड, रांची--835303 (झारखण्ड) INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY (Indian Council of Forestry Research & Education) mous Body of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt of India) Lalgutwa, Gumla Road, N.H.--23, Ranchi-835303 (Jharkhand) E-mail : dir_ifp@idfre.org, ifpranchi2018@gmail.com

No. No. XVII-Admin-33/2022-23

Date: 05.06.2024 66

TENDER NOTICE

Tender No. - 01/2024-25 (Vehicle).

E-tenders through GeM portal (https://gem.gov.in) are invited from reputed parties/agencies supplying vehicles with drivers on Daily Hire-basis for official use of ICFRE-Institute of Forest Productivity, Lalgutwa, NH -23 Ranchi Gumla Road, Ranchi - 835303 (Jharkhand). For detailed information please visit website. All corrigendum, amendments, clarifications etc to the tenders will be posted on https://gem.gov.in. Bidders should regularly visit website to keep themselves updated. Tender will be accepted through GeM portal only.

Published Date	12 th June 2024 (11.00 AM)
Request Bid Document From Date and Time	12 th June 2024 (11.00 PM)
Request Bid Document Till Date and Time	03 rd July 2024 (05.00 PM)
Bid Closing Date and Time	03 rd July 2024 (05.00 PM)
Bid Opening Date and Time	04 th July 2024 (11.00 AM)
Tender fee (payable by bank draft in the name of Director, ICFRE-Institute of Forest Productivity, Ranchi	Rs. 590/-

निविदा सूचना

निविदा सं.. - 01/2024-25 (वाहन)

भा.वा.अ.शि.प.- वन उत्पादकता संस्थान, लालगृटवा, एनएच-23 रांची गुमला रोड, रांची- 835303 (झारखंड) के आधिकारिक उपयोग के लिए दैनिक भाड़े के आधार पर डाइवरों के साथ वाहनों की आपर्ति करने वाली प्रतिष्ठित पार्टियों/एजेंसियों से ई-निविदाएं GeM पोर्टल (https://gem.gov.in) के द्वारा आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट http://ifp.icfre.org पर जाएं, निविदाओं के सभी शुद्धिपत्र, संशोधन, स्पष्टीकरण आदि https://gem.gov.in पर पोस्ट किए जाएंगे। बोलीदाताओं को स्वयं को अद्यतन रखने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहना चाहिए। निविदा केवल GeM पोर्टल से ही स्वीकार की जायेगी।

12 th June 2024 (11.00 AM)
12 th June 2024 (11.00 PM)
03 rd July 2024 (05.00 PM)
03 rd July 2024 (05.00 PM)
04 th July 2024 (11.00 AM)
रुपये 590/-

निदेशक:/Director



भा . वा. अ. शि. प.–वन उत्पादकता संस्थान, रांची (झारखण्ड) ICFRE-INSTITUTE OF PRODUCTIVITY, RANCHI (JHARKHAND)



ई-निविदासूचना

TENDERNOTICE

भा . वा. अ. शि. प.—а.З.सं. में वार्षिक अनुबंध पर किराये के वाहन हेतु(дем के माध्यम से)


Annual Contract For Hiring Of Vehicles (Through GEM)

कार्य का नाम: वार्षिक अनुबंध पर वाहनों को किराये पर लेने हेतु ई-निविदा (एलएमवी/एलसीवी/एमसीवी/एचसीवी)

Name of work: E-Tender for hiring of vehicles On Annual Contract (LMV/LCV/MCV/HCV)







(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद) (वन, पर्यावस्थ, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायल निकाय) तातगृटवा, एव एवं. -23, गुमता सेंड, शंवी ८३७ ३०३ (डाइस्ववड)



Phone: 0651- 2526140 2526150

ICFRE - INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY

(Indian Council of Forestry Research & Education) ous Body of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Laigutwa,Gumla Road, N.H.-23, Ranchi-835303(jharkhand) Email:- dir ifp@icfre.org, ifpranchi2018@gmail.com Website:-www.ifp.icfre.gov.in

File No. XVII-ADMIN-33/2022-23

Date: 05.06.2024

Office: 0651-2526140, 0651-2526150

Fax: 89

Website: https://https://ifp.icfre.gov.in/

Email: dir ifp@icfre.org. ifpranchi2018@gmail.com

वार्षिक अनुबंध पर किराये के वाहन हेत ई-निविदा आमंत्रण सचना

भा.वा.अ.शि.प. - वन उत्पादकता संस्थान, लालगृटवा, एनएच -23 रांची गुमला रोड, रांची - 835303 (झारखंड) के आधिकारिक उपयोग के लिए दैनिक किराये के आधार पर ड्राइवरों के साथ वाहनों की आपूर्ति करने वाली प्रतिष्ठित पार्टियों/एजेंसियों से ई-निविदाएं (GeM पोर्टल से) आमंत्रित की जाती हैं। इच्छक पार्टियां/एजेंसियां जो इस नोटिस के साथ संलग्न नियमों और शर्तों का पालन करने के इच्छक हैं. वे ऑनलाइन बोली जमा करने के निर्देशों के अनुसार अपनी बोलियां ऑनलाइन GeM पोर्टल से जमा कर सकते हैं। अनुबंध दोनों पक्षों की आपसी सहमति से एक वर्ष की अवधि (आगे की अवधि के लिए विस्तार योग्य) के लिए है। अतिरिक्त दस्तावेजों में अनुबंध की आवश्यकता/पात्रता मानदंड नियम और शर्तें स्पष्ट की गई हैं। निविदा दस्तावेज (अतिरिक्त दस्तावेजों सहित) GeM पोर्टल के साथ-साथ ICFRE-वन उत्पादकता संस्थान, लालगुटवा, NH -23 रांची गुमला रोड, रांची - 835303 (झारखंड) के कार्यालय की वेबसाइट यानी https://https://ifp.icfre.gov.in/ पर ऑनलाइन उपलब्ध है। हालाँकि, किसी भी स्पष्टीकरण के लिए बोलीदाता संपर्क कर सकते हैं। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली में भाग लेने से पहले निविदा दस्तावेज (वेबसाइट और GeM पोर्टल पर अपलोड किए गए) को पढ़ें और अपनी पात्रता की जांच करें।

NOTICE INVITING E-TENDER FOR HIRING OF VEHICLES ON ANNUAL CONTRACT

E-tenders (through GeM portal) are invited from reputed parties/agencies supplying vehicles with drivers on Daily Hire-basis for official use of ICFRE-Institute of Forest Productivity, Lalgutwa, NH -23 Ranchi Gumla Road, Ranchi - 835303 (Jharkhand). Interested parties / agencies who are willing to comply with the terms and conditions annexed to this notice, may submit their bids online only through GeM as given in the instructions for online bid submission. The contract for an initial period of one year (extendable for further period) with mutual consent of both parties is invited. Requirement/eligibility criteria Terms and Conditions of the contract have been clarified in the additional documents. Tender document (including additional documents) is available online at GeM Portal as well as on the website of OFFICE of ICFRE-Institute of Forest Productivity, Lalgutwa, NH-23 Ranchi Gumla Road, Ranchi 835303 (Jharkhand) https://https://ifp.icfre.gov.in/. However, for any clarification, bidders may contact. Bidders are advised to read tender document (uploaded on website and on GeM portal) and check their eligibility before participating in the bid.

किराये पर लिए जाने वाले वाहनों का विवरण इस प्रकार है: The details of the Vehicles to be hired are as under:

SI No.	वर्ग/ Category	आवश्यक वाहनों की संख्या/No. of Vehicles required	प्रयोग /Usage
1.	स्टाफ वाहन (होंडा सिटी, हुंडई वेरना, मारुति सुजुकी सियाज़, डिज़ायर, इनोवा क्रिस्टा, एर्टिगा, XUV 700, बोलेरो, स्कॉर्पियो, सूमो या इसके समकक्ष) Staff Vehicle (Honda City, Hyundai Verna, Maruti Suzuki Ciaz, Dzire, Inova crystal, Ertiga, XUV 700, Bolero, Scorpio, Sumo or its equivalent)	आवश्यकता के अनुसार As per requirement	आवश्यकता के अनुसार As per requirement
2.	मध्यम आकार का वाहन (बोलेरो पिकअप, बोलेरो कैंपर, फोर्स ट्रैवलर या इसके समकक्ष) Mid-sized vehicle (Bolero pickup, Bolero Camper, Force Traveller or its equivalent)	आवश्यकता के अनुसार As per requirement	आवश्यकता के अनुसार As per requirement
3.	बड़े आकार का वाहन (मिनी बस, मिनी ट्रक, ट्रैक्टर या इसके समकक्ष) Large-sized vehicle (Mini Bus, Mini Truck, Tractor)	आवश्यकता के अनुसार As per requirement	आवश्यकता के अनुसार As per requirement

क. ऊपर उल्लिखित 'स्टाफ कार/मध्यम आकार/ बड़े आकार के वाहनों की संख्या निश्चित नहीं है, बल्कि वर्तमान आवश्यकता के अनुसार है।

A. The number of 'staff car/ Mid-sized/Large-Sized vehicles mentioned above is not fixed but as per the present requirement.

*यदि आवश्यक हो, तो विक्रेता को समान दरों और नियमों और शर्तों पर अधिक वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए;

*If needed, the vendor should be able to provide more vehicles at the same rates and terms and conditions;

*इसके अलावा, यदि इस कार्यालय को आवश्यकता नहीं है तो यह कार्यालय एक या सभी वाहनों को सरेंडर कर सकता है।

- *Also, this office may surrender one or all of the vehicles, if not needed by this office.
- ख. पेट्रोल/डीजल/सीएनजी एवं ई-वाहन के लिए दरें अलग-अलग उद्धृत की जाएंगी।
- B. Rates to be quoted for Petrol/Diesel/ CNG & e-Vehicles separately.
- *िकसी भी स्थिति में, भुगतान वाहनों के वास्तविक उपयोग के आधार पर किया जाएगा, चाहे ऊपर उल्लिखित संख्या कुछ भी हो।
- * In any case, the payment would be made based on the actual usage of the vehicles, irrespective of numbers mentioned above.

`	<u></u>	m .	01 4
टेटा	शाट	/I lata	Sheet
001	7110	/ Dutte	CILCU

डेटा शीट /Data Sheet	विवरण/ Description
वस्तु ∕Item	
lame of the Hirer	गईसीएफआरई-वन उत्पादकता संस्थान, लालगुटवा, एनएच - 23 रांची गुमला रोड, रांची - 835303 (झारखंड)/ICFRE- Institute of Forest Productivity, Lalgutwa, NH - 23 Ranchi Gumla Road, Ranchi - 835303 (Jharkhand)
Tender Inviting Authority	निदेशक (प्रशासन) आईसीएफआरई-वन उत्पादकता संस्थान Director(Admn.) ICFRE-Institute of Forest Productivity
	वार्षिक अनुबंध पर वाहनों को किराये पर लेना /Annual Contract For Hiring Of Vehicles
निविदा संख्या /Tender No.	01/2024-25 (वाहन) /(Vehicle)
संदर्भ फ़ाइल संख्या /Ref. file No.	File No. XVII-ADMIN-33/2022-23
चयन की विधि/Method of Selection	GeM पोर्टल द्वारा /Through GeM
निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता Availability of Tender Documents	यूआरएल https://gem.gov.in और ICFRE-IFP वेबसाइट http://ifp.icfre.gov.in पर ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। To be downloaded from E-procurement portal at the URL https://gem.gov.in and ICFRE-IFP website http://ifp.icfre.gov.in .
प्रकाशित तिथि /Publish Date	12 .06.2024
निविदा जमा करने की आरंभ तिथि और समय Starting Date and time of Tender submission	12.06.2024
बोली/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि और समय (तत्काल या उससे पहले) Last date and time for Bid/Proposal submission (On or before)	
बोली/प्रस्ताव खोलने का समय, तारीख और स्थान Bid Opening Time, Date & Venue	आईसीएफआरई-वन उत्पादकता संस्थान, लालगुटवा, एनएच -23 रांची गुमला रोड, रांची - 835303 (झारखंड) दिनांक 04.07.2024 (सुबह 11.00 बजे) At ICFRE-Institute of Forest Productivit Lalgutwa, NH -23 Ranchi Gumla Road, Ranch 835303 (Jharkhand) on dated 04.07.2024(11.00 AM
बोली/प्रस्ताव प्रस्तुत करने की भाषा Language of Bid Submission	द्विभाषी/ Bilingual

मुद्रा /Currency	भारतीय रुपये /Indian Rupees (INR)	
Estimated Cost for one year contract	₹ 15,00,000 /- (रूपये पंद्रह लाख मात्र)	
निविदा शुल्क /Tender Fee	रु.पांच सौ नव्वे (18% जीएसटी सहित) Rs. 590.00 (including 18% GST)	
निविदा प्रसंस्करण शुल्क Tender Processing Fee	आई टी आई लिमिटेड की शर्तों के अनुसार As per the terms of ITI Limited.	
Earnest Money Deposit (EMD) in required	Rs. 25,000/-	
form to be sent by Post / Delivered in hand	(रूपये पच्चीस हजार मात्र)	
on or before the last date of submission of		
E Tender (Technical)		
Performance Security Deposit / Security	2 % of the Contract Value	
Deposit (PSD / SD) to be deposited by		
successful bidder		

- > निदेशक, आई सी एफ आर ई- वन उत्पादकता संस्थान, रांची के पक्ष में डीडी के रूप में निविदा शुल्क, ईएमडी आदि, जो रांची में देय हो, निदेशक, आईसीएफआरई-वन उत्पादकता संस्थान, पीओ लालगुटवा, एनएच-23 रांची गुमला रोड, रांची 835303, झारखंड को भेजा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण तिथि पत्र में उल्लिखित बोली खोलने की तारीख/समय पर या उससे पहले 04 जुलाई, 2024 (11.00 बजे) सभी प्रकार से पूर्ण रूप से भरे और हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज नवीनतम GeM पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सभी दस्तावेजों के साथ महत्वपूर्ण डेटाशीट के अनुसार 03 जुलाई, 2024 तक ही मान्य है। हार्ड कॉपी में जमा की गई निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। केवल निविदा शुल्क और ईएमडी की मूल हार्ड कॉपी स्वीकार की जाएगी। Tender Fee, EMD etc. in the form of DD in favor of Director, ICFRE-Institute of Forest Productivity, Ranchi payable at Ranchi must be delivered to the Director, ICFRE-Institute of Forest Productivity, P O-Lalgutwa, NH-23 Ranchi Gumla Road, Ranchi 835303, Jharkhand on or before bid opening date/time as mentioned in critical date sheet 04th july, 2024 (11.00 AM) Duly filled and signed tender document complete in all respect may be uploaded on the GeM Portal latest by 03rd july, 2024 as per the critical datasheet along with all the documents mentioned in the tender form. Tenders submitted in the hard copy will not be accepted. Only original hard copy of Tender Fee and EMD will be accepted.
- ▶ कार्य अनुबंध पत्र सफल निविदाकार को स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर निदेशक, भा.वा.अ.शि.प.- वन उत्पादकता संस्थान रांची के साथ सलंग्न कार्य अनुबंध पत्र (रूपये 500/ के नॉन जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर) हस्ताक्षरित करने होंगे।

Work contract letter: The successful tenderer will have to sign the attached work contract letter (on non-judicial stamp paper of Rs. 500/-) with the Director, ICFRE-Institute of forest productivity, Ranchi within one month from the date of issue of acceptance order.

ई-निविदा सूचना के सामान्य नियम और शर्तै:

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE E-TENDER NOTICE:

- 1) सेवा प्रदाता एक स्वामित्व/साझेदारी/पंजीकृत फर्म/कंपनी होनी चाहिए और वाहन केवल झारखंड में पंजीकृत होना चाहिए।
- 1) The service provider should be a proprietorship/ partnership/ registered firm/ company and the vehicle(s) should be registered in Jharkhand only.
- 2)सेवा प्रदाता के पास किसी भी सरकार को वाहन उपलब्ध कराने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसे प्रमाणित करने के लिए विभाग और प्रासंगिक दस्तावेज भी निर्दिष्ट प्रारूप में तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। (स्टार्टअप मध्यम उद्यमों के लिए नियमों में छूट नियमानुसार दी जा सकती है)
- 2) The service provider should have minimum 3 years of experience of providing vehicles to any govt. department and relevant documents to substantiate the same should also be submitted with the technical bid in the specified format. (Relaxation of Norms for Startups Medium Enterprises may be allowed as per rules)
- 3) वाहन उपलब्ध कराने का ठेका सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जाएगा जो निविदा दस्तावेज में दिए गए सभी नियमों और शर्तों को पूरा करेगा। सफल सेवा प्रदाता द्वारा अपेक्षित संख्या में वाहन उपलब्ध कराने में विफलता से बचाव के लिए, यह कार्यालय अन्य सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध कर सकता है जो एल-आई (सबसे कम दरें उद्धृत करने वाली फर्म) के समान नियमों और शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हैं।
- 3) The contract for providing vehicles will be given to the lowest bidder who fulfils all the terms and conditions given in the tender document. To safeguard against failure by the successful service provider in providing requisite number of vehicles, this office may empanel other service providers who are prepared to provide service as per the same terms and conditions as that of L-I (Firm who has quoted lowest rates) tendered.
- 4) यह कार्यालय किराये पर लिए जाने वाले वाहनों की आवश्यकताओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उल्लिखित 'स्टाफ कार', 'मध्यम आकार और बड़े आकार' वाहनों की संख्या निश्चित नहीं है। यह वर्तमान आवश्यकता के अनुसार है:
- क) यदि आवश्यक हो, तो विक्रेता को समान दरों और नियमों और शर्तों पर अधिक वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए।
- पाहिए। ख) इसके अलावा, यदि इस कार्यालय को आवश्यकता नहीं है, तो यह कार्यालय कुछ या सभी वाहनों को सरेंडर कर सकता है।
- 4) This office reserves the right to revise the requirements of vehicles being hired. The number of 'staff car', 'Mid-sized & larged sized' vehicles mentioned is not fixed. It is as per present requirement:
 - a) If needed, the vendor should be able to provide more vehicles at the same rates and terms and conditions.
 - b) Also, this office may surrender some or all of the vehicles, if not needed by this office.
- 5) किसी भी स्थिति में, भुगतान वाहनों के वास्तविक उपयोग के आधार पर किया जाएगा, चाहे ऊपर उल्लिखित संख्या कुछ भी हो।
- 5) In any case, the payment would be made based on the actual usage of the vehicles, irrespective of numbers mentioned above.
- 6) पेट्रोल/डीजल/सीएनजी एवं ई-वाहनों के लिए अलग-अलग दरें उद्धृत की जाएंगी क्योंकि ईंधन प्रकार के आधार पर अलग-अलग दरें लागू होती हैं।
- 6) Rates to be quoted for Petrol/Diesel/ CNG & e-Vehicles separately as based on the fuel type separates rates are applicable.

 6 | Page

- 7) निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुबंध प्राप्त करने के बाद उसके द्वारा तैनात वाहन नवीनतम मॉडल (पांच वर्ष से अधिक पुराना नहीं) का हो और उसमें साफ सीट कवर/तौलिया, कार परफ्यूम और अच्छी चालू स्थिति में होना चाहिए जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। वाहनों का व्यापक बीमा होना चाहिए और परिवहन प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण से आवश्यक परिमट/अनुमित लेनी चाहिए। वाहनों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रदूषण प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस संबंध में निविदाकर्ता को तकनीकी बोली के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 7) The tenderer should ensure that after getting the contract the vehicle deployed by him are of latest model (not older than five years) and shall have clean seat covers/ towels, car perfume and should be in good running condition for which no extra payment would be made. Vehicles should be comprehensively insured and should carry necessary permits/ clearance from the Transport Authority or any other concerned authority. The vehicles should also carry necessary pollution certificates issued by the competent authority. Undertaking in this regard would be required to be submitted by the tenderer along with technical bid.
- 8) वाहन केवल इस कार्यालय के उपयोग के लिए होंगे और किराए पर लेने के बाद सेवा प्रदाता द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- 8) The vehicles shall be for exclusive use of this Office and should not be used by the Service Provider for any other purpose after hiring.
- 9)आमतौर पर परियोजना अन्वेषक / वाहन प्रभारी निविदाकारों को दौरे पर जाने के 1 या 2 दिन पहले अपनी माँग देंगे। उसी अनुसार वाहन उपलब्ध कर ने होंगे | आकस्मिक परिस्थितिओं में निविदाकर्ता को तत्काल भी वाहन उपलब्ध कराने होंगे | यदि आवश्यक हो तो वाहन शनिवार, रिववार और छुट्टियों सिहत सभी दिनों में उपलब्ध कराए जाएंगे। 9) Generally the Project Investigator/Vehicle In charge will give his requisition to the tenderers 1 or 2 days before going on the visit. Vehicles will have to be provided accordingly. In case of emergency, the tenderer will have to provide vehicles immediately. The vehicles shall be made available on all days including Saturday, Sunday & Holidays, if required.
- 10) माइलेज की गणना रिपोर्टिंग बिंदु से रिपोर्टिंग बिंदु तक होगी और गैरेज से गैरेज के आधार पर गणना नहीं की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि आपूर्ति किए गए वाहन का ओडोमीटर ठीक से सील किया गया है। किसी भी संदेह की स्थिति में इस कार्यालय का अधिकृत अधिकारी सेवा प्रदाता के खर्च पर किसी भी अधिकृत कार्यशाला से वाहन के ओडोमीटर की जांच करा सकता है।
- 10) The calculation of mileage shall be from the reporting point to the reporting point and will not be calculated on garage to garage basis. For this purpose, the service provider shall ensure that the odometer of the supplied vehicle is properly sealed. In case of any doubt the authorized officer of this Office may get odometer of the vehicle checked from any authorized workshop at the cost of Service Provider.
- 11) एलपीजी सिलेंडर का उपयोग किसी भी स्थिति में वाहन चलाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- 11) LPG Cylinders should not be used for running the vehicle in any case.
- 12) ड्यूटी पर वाहन के खराब होने की स्थिति में, सेवा प्रदाता दूसरा वाहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। ऐसे मामले में, गैराज से ब्रेकडाउन के स्थान तक के माइलेज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 12) In case of any breakdown of vehicle on duty, the service provider shall make arrangement for providing another vehicle. In such a case, mileage from garage to the point of breakdown would not be paid.
- 13) सेवा प्रदाता वर्तमान में उसके द्वारा नियोजित ड्राइवरों के नाम और पते प्रदान करेगा।
- 13) The service provider shall provide name & address of the drivers presently employed by him.

- 14) निविदाकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुबंध प्राप्त करने के बाद इस कार्यालय में सेवा के लिए नियुक्त ड्राइवरों के खिलाफ कोई पुलिस रिकॉर्ड/आपराधिक मामला (पिछला या लंबित) नहीं है। सेवा प्रदाता को ड्राइवरों को इस कार्यालय में सेवा के लिए नियुक्त करने से पहले उनके पूर्ववृत्त के बारे में पर्याप्त पूछताछ करनी चाहिए। इस संबंध में निविदाकर्ता को
- 14) The tenderer should ensure that after getting the contract the drivers deputed for service to this Office do तकनीकी बोली के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। not have any Police records/ Criminal cases (previous or pending) against them. The service provider should make adequate enquiries about the antecedents of the drivers before deputing them for service to this Office. Undertaking in this regard would be required to be submitted by the tenderer along with technical bid.
- 15) चालक ड्यूटी करते समय सभी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। उन्हें उचित वर्दी पहननी होगी और काम करने की स्थिति में एक मोबाइल फोन रखना होगा, जिसके लिए इस कार्यालय द्वारा कोई अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा। ड्राइवर को नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना, चाय और रात्रि विश्राम आदि के लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं
- 15) The driver(s) shall observe all the etiquette and protocol while performing duty. They should wear a proper दी जाएगी और उसकी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। uniform & must carry a mobile phone in working conditions, for which, no separate payment shall be made by No extra amount will be given to the driver for breakfast, lunch, dinner, tea and overnight stay etc. and the same responsibility should be born by the tenderer.
 - 16) ड्यूटी पर तैनात ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उन्हें लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए दो से अधिक पंच या चालान में शामिल नहीं होना चाहिए। सेवा प्रदाता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास संपर्क स्थापित करने और चौबीसों घंटे सेवा की व्यवस्था है। इस प्रयोजन के लिए उनके पास पर्याप्त संख्या में टेलीफोन/मोबाइल होने चाहिए। इस संबंध में निविदाकर्ता को तकनीकी बोली के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
 - 16) The driver(s) deputed on duty should carry valid driving license. They should also not have been involved in more than two punch or challans for negligent driving. The Service Provider should also ensure that they have arrangement for establishing contact and round the clock service. For this purpose, they should have adequate numbers of telephones/mobiles. Undertaking in this regard would be required to be submitted by the tenderer along with technical bid.
 - 17) यह कार्यालय वाहन या किसी अन्य वाहन के किसी भी चालान, हानि, क्षिति या किसी दुर्घटना या चालक या किसी अन्य तीसरे पक्ष को चोट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस खाते पर होने वाली हानि या क्षित या कानूनी खर्च सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा। इस संबंध में निविदाकर्ता को तकनीकी बोली के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 17) This Office shall not be responsible for any challan, loss, damage or any accident of the vehicle or to any
 - other vehicles or for the injury to the driver or to any other third party. The loss or damage or legal expenses on this account shall be borne by the Service Provider. Undertaking in this regard would be required to be submitted by the tenderer along with technical bid.
 - 18) ड्राइवरों को विभिन्न राज्यों की सड़कों और मार्गों से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। ड्राइवरों का संचालन और कार्य
 - 18) The drivers should be well conversant with the roads and routes of Different states. The operation and मोटर वाहन अधिनियम और नियमों के अनुसार नियंत्रित होंगे। functions of the drivers shall be governed as per the Motor Vehicles Act and Rules.
 - 19) ड्राइवरों को ड्यूटी की पूरी अवधि के दौरान हमेशा वाहन के साथ रहना चाहिए। किसी भी आवश्यकता के मामले में, उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी चाहिए। 8 | Page

- 19) The drivers should always remain with the vehicle during the entire period of duty. In case of any need, they should seek permission from the concerned officers.
- 20)निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुबंध प्राप्त करने के बाद उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए ड्राइवरों के पास ड्राइविंग का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो, जो उसके ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से सत्यापित होना चाहिए।
- 20) The tenderer should ensure that after getting the contract the drivers the drivers deputed by him have a minimum experience of three years of driving, which should be verifiable from the date of issuance of his driving license.
- 21) संचालन की अविध के दौरान, ड्राइवर को आमतौर पर तब तक नहीं बदला जाना चाहिए जब तक कि इस कार्यालय द्वारा वांछित/अनुमित न दी जाए। यदि कोई वाहन किसी भी दिन ड्यूटी पर नहीं आता है या ड्राइवर देर से आता है या निविदा के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो प्रति दिन आनुपातिक आधार पर गणना की गई राशि उसके बिल से काट ली जाएगी। वाहन सेवा प्रदाता प्रत्येक ऐसी घटना के लिए 500/- प्रति दिन प्रति स्टाफ वाहन और 1000/- प्रति दिन प्रति मध्यम आकार या बड़े आकार वाहन के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे| ऐसा कोई भी जुर्माना इस कार्यालय द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना दिए बिल से काट लिया जाएगा।
- 21) During the period of operation, the driver should not ordinarily be changed unless desired/allowed by this office. If any vehicle does not report for duty on any day(s) or the driver reports late or there is violation of any other provision of the tender, then an amount calculated on pro-rata basis per day shall be deducted from the bill of that vehicle. The Service Provider shall also be liable for a penalty of Rs. 500/- per day per Staff Vehicle and Rs. 1000/- per day per Mid-Size or large-size Vehicle for each such incident. Any such penalty would be deducted by this office from the bill without giving any prior notice.
- 22) सेवा प्रदाता को इस कार्यालय में तैनात बेड़े के लिए एक संपर्क व्यक्ति/पर्यवेक्षक प्रदान करना चाहिए। वाहनों पर नज़र रखना पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी, साथ ही वाहनों के संबंध में कोई भी निर्देश इस कार्यालय द्वारा पर्यवेक्षक को फोन या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वाहन वांछित स्थान पर पहुंचे और संमय के भीतर वांछित अधिकारी को रिपोर्ट करे।
- 22) The service provider should provide a single contact person/ supervisor for the fleet deployed to this office. It would be responsibility of the supervisor to keep track of the vehicles, also any instruction regarding vehicles would be communicated by this office to the supervisor through phone or whatsapp. It would be the responsibility of the supervisor to ensure that the vehicle reaches the desired location and report to the desired officer within time.
- 23) प्रत्येक वाहन के लिए समय और माइलेज का संकेत देने वाला एक दैनिक रिकॉर्ड एक लॉग-बुक में रखा जाएगा जिसे बिलों की जांच और भुगतान के लिए इस कार्यालय के संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 23) A daily record indicating time and mileage for each vehicle shall be maintained in a log book which should be submitted to the concerned officer of this Office for scrutiny & payment of the bills.
- 24) यह कार्यालय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जीएसटी, टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क सहित करों की प्रतिपूर्ति करेगा।
- 24) This Office will reimburse taxes including GST, toll tax and parking charges against production of documentary evidence.
- 25) चालक के वेतन और भत्ते से संबंधित सभी खर्च सेवा प्रदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। इसी प्रकार बीमा, रखरखाव और ईंधन आदि सहित वाहन से संबंधित सभी खर्च भी सेवा प्रदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 25) All expenses relating to salary and allowances of the driver shall be borne by the Service Provider. Likewise all expenditure related to the vehicle including insurance, maintenance & fuel etc. will also be borne by the Service Provider.

- 26) सेवा प्रदाता या उसके कर्मचारियों या उसके नियंत्रण में किसी भी व्यक्ति की लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले या उससे जुड़े सभी नुकसान / आरोपों के खिलाफ विभाग को क्षतिपूर्ति करने का वचन देगा, चाहे वह दुर्घटना / व्यक्ति को चोट या क्षति के संबंध में हो। जनता के किसी भी सदस्य या किसी व्यक्ति की संपत्ति पर या कार्य को निष्पादित करने में या अन्यथा और उसके सभी दावों और मांग के विरुद्ध।
- 26) The Service Provider shall undertake to indemnify the department against all damages/charges arising on account of or connected with the negligence of the Service Provider or his staff or any person under his control whether in respect of accident/injury to the person or damages to the property of any member of the public or any person or in executing the work or otherwise and against all claims and demand thereof.
- 27) यदि वाहन वांछित स्थान से उपलब्ध नहीं कराया गया तो रु.1000/- तक का जुर्माना लगाया जाएगा. 500/- प्रति दिन प्रति स्टाफ वाहन और अधिकतम रु.1000/- अनुबंध की समाप्ति के अलावा प्रति मिड साइज या बड़े आकार वाहन पर 1000/- प्रति दिन का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- 27) If the vehicles are not provided from the desired location, a penalty up to Rs. 500/- per day per Staff Vehicle and up to Rs. 1000/- per day per Mid-Size or large-size Vehicle can be imposed besides termination of contract.
- 28) सेवा प्रदाता अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान अनुबंध/निविदा की शर्तों के अनुसार मेक/मॉडल का वाहन प्रदान करेगा और इस कार्यालय से पूर्व सूचना और अनुमोदन के बिना वाहन नहीं बदलना चाहिए। आपातकालीन और दुर्लभ परिस्थितियों में, इस कार्यालय द्वारा इस शर्त को अस्थायी रूप से माफ किया जा सकता है।
- 28) The service provider shall provide the vehicle of the make/model as per the terms of the contract/tender during the entire period of contract and should not change the vehicle without prior information and approval from this office. In emergency and rare circumstances, this condition can be waived off by this Office temporarily.
- 29) सेवा प्रदाता लागू श्रम कानूनों का पालन करेगा और इस संबंध में सभी देनदारियां उसकी जिम्मेदारी होंगी।
- 29) The service provider will comply with labor laws in force and all liabilities in this connection will be his responsibility.
- 30) अनुबंध प्रारंभ में बारह महीने की अवधि के लिए होगा जिसे समान नियमों और शर्तों पर संतोषजनक सेवाओं पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
- 30) The contract will be initially for a period of twelve months which may be further extended on satisfactory services on the same terms and conditions.
- 31) यदि सेवा प्रदाता द्वारा सेवा की गुणवता असंतोषजनक पाई जाती है, तो यह कार्यालय 15 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। ऐसी समाप्ति के मामले में, अन्य सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं की सेवाओं का उपयोग अनुबंधित दरों पर किया जाएगा।
- 31) In case quality of service by the Service Provider is found unsatisfactory, this Office may terminate the contract after giving 15 days notice. In case of such termination, services of other empanelled Service Providers will be utilized at the contracted rates.
- 32) बोलीदाताओ को **बोली सुरक्षा** निदेशक, आईसीएफआरई-वन उत्पादकता संस्थान, रांची के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र) अप**ने बिड के साथ जमा करनी होगी**| बोली सुरक्षा बोली वैधता की तारीख से कम से कम पैंतालीस (45) दिनों की अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए।
- 32) Bidders have to submit a Bid Security (Earnest Money) of Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) in the form of Demand Draft in favor of Director, ICFRE-Institute of Forest Productivity, Ranchi along

with their bids. The Bid Security should remain valid for a period of at least forty five (45) days beyond the date of bid validity.

- 33) बोली स्वीकार करने पर, सेवा प्रदाता को अनुबंध की पूरी अविध के अनुमानित मूल्य के 2 % के बराबर राशि की प्रदर्शन सुरक्षा एक वाणिज्यिक से साविध जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी। अनुबंध प्रदान करते समय बैंक निदेशक, आईसीएफआरई-वन उत्पादकता संस्थान, रांची के पक्ष में। प्रदर्शन सुरक्षा अनुबंध पूरा होने की तारीख से कम से कम साठ दिनों की अविध के लिए वैध रहनी चाहिए।
- 33) On acceptance of the bid, the Service Provider has to submit Performance Security of an amount equivalent to 2 % of the estimated value of the entire period of the contract in the form of Fixed Deposit Receipt (FDR) or Bank Guarantee from a Commercial Bank in favor of Director, ICFRE-Institute of Forest Productivity, Ranchi at the time of awarding the contract. The Performance security should remain valid for a period of at least sixty days beyond the date of completion of the contract.
- 34) इस समझौते की अवधि के दौरान, कोई भी मामला जो इस समझौते में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है, उस पर इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- 34) During the period of this agreement, any matter which has not been specifically covered by this agreement shall be decided by the competent authority of this Office whose decision shall be final.
- 35) इस कार्यालय द्वारा किसी भी सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और सभी सशर्त बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 35) No conditional bids shall be entertained by this Office and all conditional bids will be rejected summarily.
- 36) किसी भी प्रकार के किसी भी विवाद की स्थिति में, इस कार्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 36) In case of any dispute of any kind and in any respect whatsoever, the decision of this Office shall be final and binding.
- 37) यह कार्यालय अन्य शर्तों को पूरा करने की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जो इस कार्यालय द्वारा किराए पर वाहनों के उपयोग के अनरूप हैं।
- 37) This Office reserves the right to require fulfillment of other conditions, not expressly mentioned, which are consistent with the use of vehicles on hire by this office.
- 38) किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने की अग्रिम सूचना देकर अनुबंध को समय से पहले समाप्त किया जा सकता है।
- 38) Contract can be terminated by either party prematurely by giving advance notice of one month.
- 39) उचित जीएसटी के भुगतान का प्रमाण इस कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।
- 39) Proof of payment of appropriate GST will be required to be submitted to this Office.
- 40) ठेकेदार/फर्म के पास पात्र देश की राष्ट्रीयता होनी चाहिए। एक ठेकेदार/फर्म को एक देश की राष्ट्रीयता वाला माना जाएगा। यदि यह एक नागरिक है या गठित, निगमित, या पंजीकृत है और संचालित करता है, तो यह भारत के कानूनों के प्रावधान के अनुरूप होगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा राष्ट्रीयता का खुलासा किया जाना चाहिए।

कीमतें निम्नलिखित तरीके से उद्धृत की जानी चाहिए:

• वाहनों को किराये पर लेने के लिए उद्धृत मूल्य इच्छा अवधि के लिए निर्दिष्ट विनिर्देश के अनुसार दैनिक आधार पर होगा, साथ ही अतिरिक्त रिनंग, ईंधन, टोल शुल्क, रात्रि विश्राम शुल्क आदि और उक्त कार्य के लिए पहले से भुगतान किए गए या देय अन्य कर भी होंगे।

40)The price quoted for the hiring of the vehicles The contractor/firm shall have the nationality of an eligible country. A contractor/firm shall be deemed to have the nationality of a country. If it is a

citizen or constituted, incorporated, or registered and operates, it will be in conformity with the provision of the laws of India. Nationality must be disclosed by the supplier.

The prices should be quoted in the following manner:

- would on daily basis for desire period as per the specification specified as well as Extra Running, Fuel, Toll Charges, Night Halt charges etc. and other taxes already paid or payable for the said work.
- 41) यह कार्यालय निविदा दस्तावेज में सम्मिलित किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने या वापस लेने का अधिकार रखता है या बिना कोई नोटिस दिए या बिना कोई कारण बताए किसी भी / सभी निविदाओं को आंशिक / पूर्ण रूप से स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। इस संबंध में निदेशक, भा.वा.अ.शि.प.-वन उत्पादकता संस्थान रांची का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा।
- 41) This Office reserves the right to amend or withdraw any of the terms and conditions contained in the Tender Document or to accept/reject any/all tenders in part /full without giving any notice or assigning any reason thereof. The decision of the Director, ICFRE-Institute of forest productivity, Ranchi in this regard shall be final and binding on all.
- 42)कार्य आदेश: सफल निविदाकार द्वारा अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा परफार्मेन्स सिक्युरिटी तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी करने पर उनको कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
- **42) Work Order:** Work order will be issued to the successful tenderer after his signature on the contract and completes the performance security and other formalities.

43) निविदा की अवधि :

- (i) निविदा की अवधि कार्यआदेश जारी किये जाने के अगले माह की पहली तारीख से (अंग्रेजी कलेन्डर अनुसार) बारह माह के लिए रहेगी।
- (ii) यदि आवश्यकता हुई तो निविदा अविध कार्य की संतुष्टि के आधार पर पूर्व की शर्तों एवं पूर्व की स्वीकृत दर पर नये <u>निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने तक</u> के लिए बढ़ाई जा सकती है।

43) Tender period:

- (i) The period of tender will be for twelve months from the first day of the month following the issue of work order (as per English calendar).
- (ii) If necessary, the tender period can be extended <u>till the completion of the new tender process</u>on the basis of satisfaction of the work at the earlier conditions and earlier accepted rate.

44) अवधि पूर्व अनुबन्ध का निरस्तीकरण:

- (i) यदि निविदा कर्ता द्वारा अनुबन्ध अवधि के पूर्व अचानक अनुबन्ध छोड़ दिया जाता है तो निदेशक को परफार्मेन्स सिक्युरिटी की पूर्ण राशि जब्त करने का अधिकार होगा। साथ ही निविदाकार को पाँच वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज कर दिया जावेगा।
- (ii) यदि निविदाकर्तो का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है एवं नोटिस दिये जाने के बावजूद भी निविदाकर्ता की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होता है तो निदेशक को अधिकार होगा कि वे एक सप्ताह के

नोटिस पर अनुबन्ध को निरस्त करते हुए परफार्मन्स सिक्यूरिटी को पूर्ण रूप से जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

44) Cancellation of pre-term contract:

- (i) If the tenderer suddenly discontinue the contract before the sheduled contract period, then Director will have the right to seize the full amount of performance security. Also the tendere rwill be black listed for five years.
- (ii) If the work of the tenderer is not found satisfactory and despite of issuing notice, if there is no improvement in the performance of the tenderer, then Director will have the right to cancel the contract on one week notice and forfeit the performance security in its entirety.
- 45) भविष्य में उद्धृत दरें नहीं बढाई जाएगी | दरे निविदाओं के अनुसार निविदा अवधि के लिए मान्य होगी।
- 45) Quoted rates will not be increased in future. The rates will be valid upto the tender period.
- 46) निदेशक, भा.वा.अ.शि.प.—वन उत्पादकता संस्थान , रांची को बिना कोई कारण बताए निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा ।
- 46) Director, ICFRE-IFP, Ranchi will have full right to cancel the tender without assigning any reason.
- 47) यदि निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत विवरण किसी भी समय गलत पाया जाता है तो इसे निविदा की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और निदेशक भा.वा.अ.शि.प.—वन उत्पादकता संस्थान, रांची को उचित कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 47) If the details submitted by the tenderer are found incorrect at any time, it will be treated as violation of the conditions of the tender and The Director, ICFRE-IFP, Ranchi will have full right to take appropriate action.
- 48) अनुबंध अविध में आवश्यकता होने पर समानांतर किसी अन्य फर्म एवं एजेन्सी से निविदा अनुबंध करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा/ अथवा समान दरो पर अन्य सेवा प्रदाताओं से किराये पर वाहन लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- 48) If required, the institute will reserve the right to enter into a parallel tender contract with any other firm or agency during the contract period, or to take vehicles on rent from other service providers at the same rates.
- 49) भाडे पर लिए गये सभी वाहनों का वैध ऑल इंडिया टैक्सी परिमट होनाअनिवार्यहै।
- 49) Valid All India Taxi Permit for all hired vehicles is mandatory to travel across states.
- 50) यात्रा के दौरान पुलिस अथवा आर**ै**टी०ओ० या किसी अन्य सिविल अथारिटी द्वारा वाहन लिये जाने की अवधि अथवा यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना आदि का वहन संस्थान द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 50) The institute will not bear the cost of the vehicle being taken by police or RTO or any other civil authority during the journey or any fine for violation of traffic rules etc.
- 51)) संस्थान के प्रायोगिक स्थल अधिकतर वन क्षेत्रों में होते है अतः वाहन को वन क्षेत्रों में अंदर जाना पड़ेगा इस हेतु वाहन चालक एवं वाहन सक्षम होने चाहिए।
- 51) The experimental sites of the institute are mostly in forest areas, hence the vehicle will have to go inside the forest areas, for this the driver and the vehicle should be competent.

- 52) न्यायालय का अधिकार क्षेत्र: यदि इस अनुबन्ध के तहत किसी प्रकार का मतभेद अथवा विवाद उत्पन्न होता है तो इससे संबंधित वाद रांची स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
- 52) Jurisdiction of the court: If any kind of differences or dispute arises under this contract, then the case related to it can be presented only in the competent court of Ranchi.

डॉ. अमित पांडेय (निदेशक/ Director)

प्रतिलिपि/Copy to:-

- 1) नोटिस बोर्ड/Notice Board
- 2) आईटी प्रभाग/वेब प्रबंधक, आईसीएफआरई-वन उत्पादकता संस्थान, लालगुटवा, एनएच -23 रांची गुमला रोड, रांची 835303 (झारखंड) विभागीय वेबसाइट के माध्यम से व्यापक प्रचार के लिए।
 The IT Division/ Web Manager, ICFRE-Institute of Forest Productivity, Lalgutwa, NH -23 Ranchi Gumla Road, Ranchi 835303 (Jharkhand) for wide publicity through departmental website.
- 3) आईटी प्रभाग/वेब प्रबंधक, आईसीएफआरई-वन उत्पादकता संस्थान, लालगुटवा, एनएच -23 रांची गुमला रोड, रांची 835303 (झारखंड) को आधिकारिक वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
 The IT Division/ Web Manager, ICFRE-Institute of Forest Productivity, Lalgutwa, NH -23 Ranchi Gumla Road, Ranchi 835303 (Jharkhand) with a request to upload the same on the official website.

डॉ. अमित पांडेय (निदेशक/ Director)

निविदा प्रस्तुतिकरण: निविदा दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात, तकनीकी बोली और वित्तीय/मूल्य बोली। Submission of Tender: The tender shall be submitted online in two parts, viz., Technical Bid and Financial/Price Bid.

टेलीग्राम/फैक्स/ईमेल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में ऐसे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

The offers submitted by Telegram/Fax/email shall not be considered. No such correspondence will be entertained in this matter.